(73)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1945–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–5–2016 पारित द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार टप्पा मक्सी जिला,शाजापुर प्रकरण कमांक 1/अ–70/2014–15

.....

मोहम्मद रफीक खॉ पुत्र श्री बाबू खॉ,
निवासी ग्राम सादबा तहसील तराना
जिला उज्जैन

..... आवेदक

विरूद्ध

मकबूल बी पति श्री नसीर खॉ
निवासी ग्राम मक्सी कृषक ग्राम गडरोली
जिला शाजापुर

..... अनावेदक

.....

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक–आवेदक
श्री सुनीलसिंह जादौन, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 10/1/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अतिरिक्त तहसीलदार टप्पा मक्सी जिला, शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–5–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम गडरौली स्थित भूमि सर्वे नम्बर

3/4 रकबा 0.627 हेक्टेयर में से रकबा 12.50 फीट X 10 फीट कुल रकबा 125 वर्गफीट पर आवेदक द्वारा अवैध कब्जा किया गया है अतः कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई। कार्यवाही के दौरान अनावेदक से अनेक अवसर दिये जाने के कारण उसके अनुपस्थित होने से तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 6–5–16 को अंतरिम आदेश पारित कर साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा बिना आवेदक को सूचना पत्र जारी किये बिना सुनवाई का अवसर दिये साक्ष्य का अवसर समाप्त करने में घोर अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक की ओर से संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र का विधिवत् जबाव प्रस्तुत किया गया था जिस पर बिना विचार किये साक्ष्य का अवसर समाप्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय में साक्ष्य का अवसर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को तहसील न्यायालय द्वारा अनेक अवसर उपलब्ध कराये जाने के बावजूद आवेदक का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रचलित कार्यवाही को विलम्बित करने के उद्देश्य से निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को सूचना पत्र जारी किये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना आवेदक का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि

तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने का एक और अवसर प्रदान करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अतिरिक्त तहसीलदार टप्पा मक्सी जिला, शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–5–2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आवेदक को साक्ष्य का एक और अवसर देकर निराकरण करने हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर